सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं.RCMS2019/00032

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 05/2019

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सुरेन्द्रकुमार पुत्र बनवारीलाल (नमूना विक्रेता एवं मालिक)
मै0 बनवारीलाल राजेन्द्रकुमार, दुकान न 08, बस स्टेण्ड रोड़, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 धारा 26 धारा (2)(5)/58

निर्णय दिनांक : 04.04.2019

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.03.2018 को दोपहर बाद 1.00 बजे श्री राजेश कुमार सहायक कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर के वास्ते निरीक्षण फर्म **मै0** बनवारीलाल राजेन्द्रकुमार, दुकान न 08, बस स्टेण्ड रोड़, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर पहुचें। वहां पर श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र बनवारीलाल उपस्थित मिला। निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर दुकान का निरीक्षण किया तो उपरोक्त दुकान में 20 कि.ग्रा. **सरसों तेल (लूज)** अर्थात बिना पैंकिग एवं लेबलिंग के खुला आमजन को विक्रय हेतु रखे हुऐ पाया। मिलावट का शक होने पर नमूना जांच **के–899** के नमूनीकरण के लिए इसमें से 1.600 कि.ग्रा. **सरसों तेल (लूज)** खरीदा जिसकी कीमत 140/–रूपये (अखरे एक सौ चालीस रूपये मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री आत्माराम चावला एवं श्री राजेश कुमार के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर–5 की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 05 पर **सरसों तेल (लूज)** विक्रेता सुरेन्द्र कुमार एवं गवाहान ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों तेल (लूज)** बराबर–बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक बोतलो में भरकर चार नमूना भाग बनाए एवं ढक्कन बंद कर उन पर टेप चिपकाई। चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकाये एवं

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **के–899** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक **के–899** को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। नमूनीकरण के पश्चात शेष बचे **सरसों तेल (लूज)** को नियमानुसार जब्त कर नमूना विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। इस समस्त की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रता एवं गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी. एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/593/एक्ट/2018/688 दिनांक 11.04.2018 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–899 सरसों तेल (लूज) अमानक स्तर** **Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulaation 2011 के** Regulation No.2.3.15(1)(b). का उल्लंधन पाया गया है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त सुरेन्द्रकुमार पुत्र बनवारी लाल **मै0**, बनवारीलाल राजेन्द्रकुमार, दुकान न 08, बस स्टेण्ड रोड़, सादुलशह, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **सरसों तेल (लूज)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम **2006 धारा 26 धारा (2)(5)/58** के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 11.03.2019 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र बनवारी लाल सुखीजा (नमूना विक्रेता एवं मालिक) ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **सरसों तेल (लूज)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulaation 2011 के** Regulation No.2.3.15(1)(b). पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त सरसों के तेल में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा । प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **सरसों तेल (लूज)** का सैम्पल **के–899** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/593/ एक्ट/2018/688 दिनांक 11.04.2018 द्वारा **Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulaation 2011 के** Regulation No.2.3.15(1)(b). होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की **धारा 26 धारा (2)(5)/58** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **सरसों तेल (लूज)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulaation 2011 के** Regulation No.2.3.15(1)(b). पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त सरसों के तेल में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा । प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (5) का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 58 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **सरसों तेल (लूज)** विक्रेता एफएसएसए–2006 की धारा 31(2) की श्रेणी में आता है। अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्तों सुरेन्द्रकुमार पुत्र बनवारीलाल (नमूना विक्रेता एवं मालिक) पर **Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulaation 2011 के** Regulation No.2.3.15(1)(b). **सरसों तेल (लूज)** विक्रय करने पर धारा 26**(2)(5)/58** के तहत संयुक्त रूप से शास्त्रि 1000/–रूपये (अखरे रूपये एक हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **सरसों तेल (लूज)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।